कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ0ग0)

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक 5919/जिपं/स्थापना/मुमपंसयो/2017 राजनांदगांव, दिनांक 14/08/2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/प्रंग्राविवि/22/492ए/2016/2327 दिनांक 04.07.2016 अनुसार पंचायत संचालनालय छ0ग0 के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) के लिए स्वीकृत संविदा पर अधोलिखित पदो के लिए उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 31/08/2017 को सायं 5.30 बजे तक निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं:–

जनपद स्तर पर स्वीकृत पद–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	प्रवर्गवार आरक्षित पद संख्या	एकमुश्त मासिक वेतन	शैक्षिणिक योग्यता	वांछित योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
1	संकाय सदस्य वर्ग–05	07	अना.(मुक्त)–02 अना.(महिला)–02 अजजा.(मुक्त)–02 अजजा.(महिला)–01	15638/–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण	एक वर्ष का अनुभव किसी भी शैक्षणिक संस्था में।

नियम एवं शर्तें–

1. छ.ग.शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
2. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
3. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। शासन के आदेशानुसार एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर एवं शासन द्वारा समय–समय पर चयन के संबंध में दिशा–निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
5. परिस्थिति वश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त की जा सकती हैं।
6. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
7. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
8. अभ्यर्थी को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं सक्षम अधिकारी से सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

9. जन्मतिथि प्रमाणित हेतु हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
11. अजा./अजजा./पिछड़ा वर्ग की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
12. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।
13. अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

<u>आवेदन करने हेतु अनुदेश :–</u>

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 31/08/2017 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
3. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें न्यूनतम योग्यता के आधार पर आवेदक पंजीकृत हो। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
5. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
6. अपूर्ण एवं अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
7. लिफाफे के ऊपर पद नाम.......................... **(CMPSY)** एवं आरक्षण का प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ 5/– रूपये की टिकट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन में आवेदक का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
10. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चत्तर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
11. आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञापन जिला पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती हैं जिला पंचायत राजनांदगांव की वेबसाईट <u>www.zprajnandgaon.gov.in</u> से अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)